न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
132/2015 (RCMS 2015/00264)	19.05.2015	24.09.2019

अनवान

नेपालसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बराडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

वादी

बनाम

1. राजेन्द्रसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी बराडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. नरेन्द्रसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी बराडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
3. कैलाश कुंवर बेवा लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी बराडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
4. श्री भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री बगदीराम धाकड एक तरफा — वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक

–:: वादपत्र खातेदारी घोषणा कमी रकबा पूर्ति इन्द्राज दुरूस्ती ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत निवेदन किया कि सरहद ग्राम बराडा में वादी निवासरत होकर उसकी पैतृक कृषि आराजीयात पीढ़ियों से अवस्थित है और वर्तमान में भी वादी विरासती हक से प्रापत कृषि आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। मौजा बराडा में वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात आराजी संख्या 31 रकबा 0.40 हैक्टर आराजी संख्या 32 रकबा 0.84 हैक्टर आराजी संख्या 38 रकबा 1.26 हैक्टर आराजी संख्या 39 रकबा 1.44 हैक्टर आराजी संख्या 40 रकबा 0.19 हैक्टर आराजी संख्या 41 रकबा 0.07 हैक्टर आराजी संख्या 42 रकबा 0.14 हैक्टर आराजी संख्या 611/46 रकबा 1.05 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 5.39 हैक्टर अवस्थित है। जिसकी वर्तमान जमाबंदी संवत् 2070–73 पुरानी आधार वर्ष की जमाबंदी मिलान खसरा मिलान क्षेत्रफल आवंटन

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

आदेश नक्शा ट्रेस नया पुराना आदि सभी वादपत्र के साथ संलग्न है। वाद वर्णित कृषि आराजीयात में से खसरा नम्बर 611/46 वादी के पिताजी मानसिंह पिता नरवरसिंह जी को मिसल नम्बर 427/68 दिनांक 31.08.1981 को आराजी संख्या 5 में से रकबा 5 बीघा जमीन आवंटन की गई थी तथा वादी के पिता की मृत्यु के उपरांत विरासत से उक्त जमीन वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में आई है। वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा मुताबिक वादपत्र है। वाद वर्णित आराजी संख्या 411/46 जो कि वादी के पिताजी को आवंटन हुआ उसके अलावा समस्त आराजीयात पुश्तैनी है एवं वर्तमान आराजी संख्या 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42 के पुराने नम्ब्र 9/3 मी0 थे एवं आराजी संख्या 9/3 मी0 वादी के पिता के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की थी जिसका रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा था जो कि जमाबंदी संवत् 2032–35 में अंकित है। वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता दोनों सगे भाई थे एवं आराजीयात के भी पडौसी थे एवं आराजी संख्या (पुराने) 9/4मी0 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा प्रतिवादीगण के पिता के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी जिसके वर्तमान नये नम्बर 33, 34, 35, 36, 37 कुल किता 5 कुल रकबा 7.12 हैक्टर कायम हुआ है। अर्थात पुराने आराजी संख्या 9/3 एवं 9/4 के पेमाईश के दौरान नये नम्बरान के रकबे को साबिक के मुकाबले कम कर दिया एवं आराजी संख्या 9/4 के रकबे को काफी बढा दिया गया है जो बिल्कुल गलत एवं विधि विपरित होकर अन्यायोचित है। अर्थात आराजी संख्या 9/3 का रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा था जो कि वर्तमान में 4.34 हैक्टर है एवं 9/4 का रकबा 7.12 हैक्टर है (एवं आराजी संख्या 9/4 के नये नम्बरान में से आराजी संख्या 33 व 36 किता 2 रकबा 1.86 हैक्टर को चरागाह कर दिया है उसके बाद भी जो रकबा बचता है व 5.26 हैक्टर है जो कि पुराने रकबे के मुकाबले काफी अधिक है।) उक्त आराजीयात 9/3मी0 एवं 9/4मी0 के पुराने नक्शें एवं नये नम्बरान क्रमशः 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42 एवं 33, 34, 35, 36, 37 के नवीन नक्शे को देखने से भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 9/4मी0 के नये नम्बर 33, 34, 35, 36, 37 को नक्शें में काफी बडे भू–भाग में दर्शाया गया है एवं जो साबिक 22 बीघा 10 बिस्वा रकबे के मुकाबले नवीन रेकार्ड में 4.86 हैक्टर दर्ज होना चाहिये लेकिन इससे भी अधिक 7.12 हैक्टर दर्ज किया जो साबिक के मुकाबले 2. 26 हैक्टर बेशी दर्ज कर दिया इसके विपरित वादी के साबिक आराजी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या 9/3 मी0 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर का रकबा 4.34 हैक्टर ही दर्ज किया जबकि 4.86 हैक्टर दर्ज किया जाना चाहिये था न कर अपनी मर्जी से 0.52 हैक्टर रकबा कम कर दिया जो वादी की आराजी नम्बर 38 एवं 42 के पश्चित दिशा में लगती हुई प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 37 रकबा 2.18 हैक्टर में 0.52 हैक्टर कम कर वादी के खातेदारी घोषित कर वादी के खाते में दर्ज करने की डिक्री प्रदान की जावें एवं प्रतिवादीगण द्वारा काफी समय पूर्व ही आराजी नम्बर 34 को एवं आराजी नम्बर 35 में से उत्तरी हिस्से को लोदा समाज के अन्य दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर दिया था। सेंटलमेंट के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने भू–प्रबंधीय कार्यवाही के दौरान बिना किसी सक्षम आदेश के अपनी मर्जी से साबिक बंदोबस्ती रिकार्ड में दर्ज आराजी नम्बर 9/3 मी0 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा के नवीन बन्दोबस्ती इन्द्राज के रूप में आराजी नम्बर 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42 किता 7 रकबा 4.34 हैक्टर रकबा भू–प्रबंध कर्मचारियों ने भू–प्रबंधीय कार्यवाही के दौरान कायम करते हुए बंदोबस्ती रेकार्ड के अनुसार तैयार किया और उसी आधार पर बन्दोबस्ती जमाबंदी आधार वर्ष वाली तैयार करके संबंधित तहसील कार्यालय में बाद समाप्ति सेंटलमेंट रेकार्ड के रूप में जमा करवा दी जबकि नवीन बंदोबस्ती रेकार्ड में दशमलव पद्धति से गणना करने पर 4.86 हैक्टर भूमि का रकबा वादी के खातेदारी में दर्ज किया जाना चाहिये था। जो वर्तमान रेकार्ड में 0.52 हैक्टर विशुद्ध रूप से वादी के खातेदारी में रकबा कम दर्ज हुआ है। उक्त रकबा नवीन भू–प्रबंधीय खसरा नम्बर 37 जो कि वादी के खेत की पश्चिम दिशा की मेड से जुडता है उसमें समाहित कर दिया गया है जो कि विधि विपरित किया गया है। बिनाय दावा प्रथमतः भू–प्रबंधीय त्रुटि की जानकारी जमाबंदी की नकले व नक्शा ट्रेस मिलान खसरा आदि प्राप्त करने के बाद दिनांक 13.08.2015 को पैदा हुआ है एवं प्रतिवादीगण को भी उपरोक्त गडबढी से अवगत कराया तो उनके द्वारा जमीन बेचने एवं रहन आदि रखने की धमकी देने से (एवं प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा भी खाते में घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्त नहीं करने से) निरन्तर जारी है। इसलिये प्रतिवादीगण का निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना भी अतिआवश्यक हो गया है इसलिये घोषणा कमी रकबा पूर्ति एवं इन्द्राज दुरूस्ती के साथ निषेधात्मक निषेधाज्ञा का यह वादपत्र माननीय न्यायालय आप में प्रस्तुत करना आवश्यक होने से पेश है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण ग्राम बराडा की वर्तमान प्रतिवादीगण की आराजी संख्या 37 रकबा 2.18 हैक्टर के पूर्वी दिशा में से 0.52 हैक्टर हैक्टर भूमि कम करते हुए वादी के आराजी नम्बर 38 एवं 42 के पश्चिम दिशा की तरफ खाते में अंकित की जाने हेतु घोषणात्मक डिक्री प्रदान की जावें। पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण गत भू–प्रबंधीय इन्द्राज के मुकाबले नवीन बन्दोबस्ती रेकार्ड में हुए 0.52 हैक्टर भूमि की रकबा कमी पूर्ति प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 37 से कम करते हुए इन्द्राज मय तद्नुरूप ट्रेस दुरूस्ती किये जाने की डिक्री प्रदान की जावें। वादी को काश्त करने से प्रतिवादीगण किसी प्रकार का व्यवधान आदि न करे करावें इस आशय की निषेधात्मक निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी करावी जावें एवं खर्चा मुकदमा वकील मेहनताना आदि वादी को प्रतिवादीगण से दिलया जावें एवं अन्य कोई उचित सहायता जो वादी के हक में हो एवं न्यायालय उचित समझे प्रतिवादीगण से दिलाई जावें।

इस पर वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। इस पर दिनांक 02.12.2015 को प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। एवं इसी दिनांक 02.12.2015 वकील वादी द्वारा साक्ष्यवादी में वादी नेपालसिंह पिता मानसिंह राजपूत निवासी बराडा का शपथ–पत्र पेश किया जो PW-1 है। स्वतंत्र गवाहान बालु पिता नाथु जाट निवासी बराडा का शपथ–पत्र पेश किया जो कि PW-2 है। गवाह भगवतसिंह पिता भवानीसिंह राजपूत निवासी बराडा का शपथ–पत्र पेश किया जो कि PW-3 है जो कि शामिल पत्रावली है। इसके पश्चात् दिनांक 02.03.2017 को वकील वादी के और किसी भी प्रकार से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्यवादी बंद की गई। दिनांक 03.09.2019 को अधिवक्ता वादी ने लिखित बहस पत्रावली प्रस्तुत की जो कि शामिल पत्रावली है। लिखित बहस में विद्वान अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व आधिपत्य एवं उपयोग–उपभोग की कृषि आराजी मौजा बराडा तहसील में स्थित है। जिसके हाल आराजी नम्बर 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42 रकबा 4.34 हैक्टर एवं आराजी संख्या 611/46 रकबा 1.05 हैक्टर अवस्थित है। हाल आराजी संख्या 611/46 वादी के पिता मानसिंह पिता नरवरसिंह को आवंटन हुई थी। आराजी संख्या 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42 किता 7 रकबा 4.34 हैक्टर के साबिक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजी संख्या 9/3मी0 थे जिसका रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा था। वादी के पिता एवं प्रतिवादीगण के पिता सगे भाई थैं आराजीयात के पडौसी थें। हाल आराजी संख्या 33, 34, 35, 36, 37 किता 5 रकबा 7.12 हैक्टर जिसके साबिक आराजी संख्या 9/4मी0 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा थै। (खातेदार लक्ष्मण पिता नरवरसिंह)। 9/3मी (22 बीघा 10 बिस्वा) वर्तमान 4.34 हैक्टर। 9/4मी0 (22 बीघा 10 बिस्वा) वर्तमान 7.12 हैक्टर। 9/4मी0 के नये नम्बर 33,36 = 1.86 हैक्टर को चरागाह कर दिया उसके बाद भी 5.26 हैक्टर बचता है जो पुराने रकबे के मुकाबले ज्यादा है। 9/3मी0 एवं 9/4मी0 का नवीन रकबा 4.86 हैक्टर होना चाहिये था। नवीन नक्शें में देखने पर भी स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। वादी की हाल आराजी नम्बर 38, 42 के पश्चिम दिशा में लगती हुई प्रतिवादीगण की आराजी संख्या 37 में वादी का हक हिस्सा निहित है एवं कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण ने कई साल पूर्व आराजी संख्या 34 एवं 35 में से उत्तरी हिस्से को लोदा समाज के व्यक्तियों को विक्रय कर दिया। वादी का हाल रकबा 4.34 के बजाय 4.86 हैक्टर होना चाहिये । वादी ने 0.52 हैक्टर जमीन बाबत् खातेदारी घोषणा हेतु वादपत्र पेश किया सभी प्रतिवादीगण की प्रोपर तामील But जानबूझकर उपस्थित नहीं कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रतिवादीगण आये दिना गांव एवं समाज में एलानिया धमकियां देते कि कोर्ट में दावा करने से हमारा क्या बिगाड लेगें। वादी के कब्जे काश्त को लेकर प्रतिवादी नाजायज विवाद करते है। वादपत्र के Support में वादी ने तमाम दस्तावेज जमाबंदी मिलान खसरा Etc. पेश किये है PW-1 स्वयं वादी एवं स्वतंत्र गवाहान PW-2, 3 के शपथ–पत्र पेश किये है। वादी की हाल आराजी संख्या 38 एवं 42 के पश्चिम दिशा में लगती हुई प्रतिवादीगण की आराजी संख्या 37 रकबा 2.18 हैक्टर मैसे 0.52 हैक्टर की खातेदारी घोषणा वादी के हक में की जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करवाकर अमल दरामद करने की डिक्री पारित की जावें। प्रकरण में वादी के पक्ष में पूर्ण रूप से प्रमाणित होने के बावजूद विगत काफी समय से Pending है। वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। Delay Defeats the justice न्याय किया ही नहीं जाना चाहिये न्याय दिखना भी चाहिये की भावना को ध्यान में रखते हुऐ प्रकरण में निर्णय पारीत फरमा। वादपत्र डिक्री किये जाने की कृपा करावें। इसके साथ ही विद्वान अधिवक्ता वादी ने वाद वर्णित तथ्यों का मौखिक रूप से दौहराया एवं वादी का वाद स्वीकार किये जाने की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ईश्तदुआ के साथ अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। विद्वान अधिवक्ता वादी का वाद लोक अदालत की भावना से स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ के साथ अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सुनी गई बहस पत्रावली का मनन किया। पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पस्तुत हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात शपथ पत्रों का अवलोकन किया। चिंतन, मनन किया गया। वादी की और से साक्ष्य हेतु प्रस्तुत शपथ–पत्र दिनांक 02.12.2015 का अवलोकन किया। उक्त शपथ–पत्र शपथ आयुक्त द्वारा दिनांक 08.10.2015 तस्दीक शुदा है। दिनांक 02.12.2015 को वादी एवं गवाहान की उपस्थिति का अंकन आदेशिका पर नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी एवं स्वतंत्र गवाहान के शपथ–पत्रों की सशपथ मुख्य परीक्षा नहीं हुई है एवं इसके पश्चात् भी वादी एवं गवाहान की उपस्थिति आज दिनांक तक रिकार्ड नहीं है, जबकि दिनांक 02.03.2017 को अधिवक्ता वादी के निवेदन पर साक्ष्यवादी बंद की गई है। ऐसी स्थिति में वादी की पूर्ण शहादत रिकार्ड पर नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का वादी द्वारा अपने सशपथ शपथ–पत्रों से प्रद्र्शित नहीं कराया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध शपथ–पत्रों की सशपथ मुख्य परीक्षा रिकार्ड पर नहीं है ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात पठनीय की श्रेणी नहीं आते है। जबकि विवादित आराजीयात के संबंध में मात्र वादी के शपथ–पत्र में दस्तावेजात का अंकन किया गया है एवं दस्तावेज शामिल पत्रावली है जबकि वादी द्वार विवादित आराजीयात आराजी संख्या 37 का हाल रिकार्ड नकल जमाबंदी तक पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसकी पुष्ठि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज सूची दिनांक 17.08.2015 से होती है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा वाद के समर्थन में सम्पूर्ण शहादत प्रस्तुत नहीं किया जाना जाहिर होता है। इसके साथ ही वाद पत्र में प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा हो जाने से पत्रावली पर वादपत्र का किसी भी प्रकार से खण्डन उपलब्ध नहीं है। जबकि वादपत्र आराजीयात के कमी–बेशी रकबे से संबंधित है यह तथ्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य का मोहताज है। वादी का वाद ठोस दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमणित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वादी का वादपत्र साक्ष्य सूबत के अभाव में खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपर्युक्त विश्लेषण वादी अपना वादपत्र साक्ष्य दस्तावेज से प्रमाणित कराने असफल रहा है। अतः वादी का वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को सारहीन होने से साक्ष्य के अभाव में खारीज किया जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावें।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **24.09.2019** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनवान

नेपालसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बराडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

वादी

बनाम

1. राजेन्द्रसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी बराडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. नरेन्द्रसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी बराडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
3. कैलाश कुंवर बेवा लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी बराडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
4. श्री भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ।

प्रतिवादीगण
प्रतिवादीगण

–:: वादपत्र खातेदारी घोषणा कमी रकबा पूर्ति इन्द्राज दुरुस्ती ::–

प्रकरण संख्या :– 152/2015
(RCMS 2015/00264)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रूबरू श्री बगदीराम धाकड अधिवक्ता वादी एकतरफा प्रतिवादीगण मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को सारहीन होने से साक्ष्य के अभाव में खारीज किया जाता है। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 24.09.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मिलान स्टा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई			मुदालयत	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ